

प्रेस विज्ञप्ति
थाना- महाराजगंज

अपहरण कर हत्या करने वाले नामजद वांछित 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त चौधरी यादव पुत्र केदार यादव ग्राम बरियारपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा अपने सहयोगी अभियुक्तों द्वारा अपहृत देवनाथ पुत्र सीताराम साठ महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवां) थाना महाराजगंज को अपने साढ़ू शंकर यादव, अपने लड़के नीरज यादव व नीरज यादव के दोस्तों के साथ मिलकर दि० 04.09.20 को अपने यहां से ले जा कर टेकनपुर बंधा थाना क्षेत्र रौनापार में अपहृत देवनाथ का गला गमछे से कस कर गला घोट कर मार कर बंधे के पानी में साक्ष्य छिपाने के लिए डुबा देना। जिसका शव दि० 06.09.2020 को थाना रौनापार के पुलिस द्वारा बरामद हुआ। घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर मृतक के पिता सीताराम द्वारा दि० 05.09.2020 को 183/2020 धारा 365 IPC बनाम चौधरी यादव आदि पंजीकृत हुआ था जिसके विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 365 IPC का विलोपन करते हुए धारा 364, 302, 201, 34 IPC की बढ़ोत्तरी की गयी और इस मुकदमें के अभियुक्त शंकर यादव को दि० 16.09.20 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र कुमार मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा आज दिनांक 23.09.2020 को कस्बा महाराजगंज में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु०अ०सं० 183/2020 धारा 302, 364, 201, 34 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त चौधरी यादव पुत्र केदार यादव निवासी बरियारपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ इस समय रुपयनपुर पुलिस के पास मौजूद है किसी वाहन का इंतजार कर रहा है तथा भागने की फिराक में है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके SHO मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबीर खास के खाना होकर रुपयनपुर पुलिस के नजदीक पहुँचे जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी तरफ मुखबीर खास इशारा करके हट गया, कि उक्त व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर अचानक भागने का प्रयास किया कि वहीं पर पुलिस वालों द्वारा घेर कर समय करीब 09.05 बजे सुबह पकड़ लिया गया, उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम चौधरी यादव पुत्र केदार यादव निवासी बरियारपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ उम्र 52 वर्ष बताया, जिसे मुकदमा उपरोक्त का जुर्म धारा से अवगत कराकर नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- चौधरी यादव पुत्र केदार यादव निवासी बरियारपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ उम्र 52 वर्ष से मुकदमा हाजा की घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अपने जुर्म की बार-बार गलती की माँफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब मेरे साढ़ू शंकर उर्फ रमाशंकर यादव निवासी देवारा जदीद (जमुनिहवाँ) थाना महाराजगंज आजमगढ़ की लड़की प्रिन्सा मेरे यहाँ पहले से आकर रह रही थी, कि दिनांक 04.09.2020 को रात्रि में हम लोग खाना खाकर सोये थे कि मेरा लड़का नीरज मेरे पास आया और जगाकर कहा कि प्रिन्सा के पास उसके गाँव का लड़का देवनाथ निषाद पुत्र सीताराम निषाद साकिन महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा थाना महाराजगंज आजमगढ़ आशनाई के लिए आया है, और कमरे में मौजूद है कि मैं और नीरज जाकर कमरे में देवनाथ निषाद को पकड़ लिये और उसका हाथ बाँध दिये नीरज ने शंकर को मोबाइल से देवनाथ के बारे में बताया कि आशनाई के लिए यहाँ पर देवनाथ निषाद आया जिसे हम लोग पकड़ लिये हैं आप आ जाइये कि इसके बाद नीरज अपने मित्रों लल्लू पुत्र प्रेम यादव निवासी ग्राम अमानी हैदराबाद थाना रौनापार, जितेन्द्र पुत्र श्रवण यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ तथा उसके 02 दोस्त और जिनका नाम पता मैं नहीं जानता बुलवाया, तब तक कुछ देर के बाद रात्रि में ही शंकर उर्फ रमाशंकर यादव आ गये कि हम लोग आपस में मिलकर तय किये कि यह लड़का देवनाथ निषाद हम लोगो की इज्जत को बरबाद कर किया, तब हम लोग देवनाथ निषाद को टेकनपुर बंधा थाना क्षेत्र रौनापार ले गये और वही पर हम सभी लोग मिलकर देवनाथ निषाद को बंधे पर ही पटककर हाथ पैर दबाकर गले में गमछे से कसकर खींचकर मार डाले, जब उसका हाथ पैर स्थिर हो गया और मर गया तब उसे बंधे के नीचे पानी में डूबो दिये। यही मेरा बयान है तथा बार-बार अपनी गलती की माँफी मांग रहा है। अभियुक्त का उक्त कृत्य मु०अ०सं० 183/2020 धारा 364, 302, 201, 34 IPC के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 183/2020 धारा 364, 302, 201, 34 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त -

अभियुक्त चौधरी यादव पुत्र केदार यादव निवासी बरियारपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO देवेन्द्र कुमार सिंह, हे०का० फूलन, का० अरविन्द यादव, का० सोनू, म०का० खूशबू

थाना- महाराजगंज जनपद आजमगढ़

छेड़खानी का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त जोगेन्द्र पुत्र जोखन साठ देवारा तुर्कचारा थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा दिनांक 20/09/2020 की रात को लगभग 10.00 बजे वादिनी के घर की दीवार फाँदकर घुस आना और छेड़खानी करना और वादिनी के विरोध करने पर वादिनी को जान से मारने की धमकी दिया जाना जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 196/20 धारा 354, 506, 452 भादवि पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 23.09.20 को उ०नि० छुन्ना सिंह मय हमराहीयान कर्मचारीगण द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु०अ०सं० 196/20 धारा 354, 506, 452 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जोगेन्द्र पुत्र जोखन साठ देवारा तुर्कचारा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को कटान बाजार चौराहा के पास से समय करीब 09.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 196/20 धारा 354, 506, 452 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त -

जोगेन्द्र पुत्र जोखन साठ देवारा तुर्कचारा थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO देवेन्द्र कुमार सिंह, उ०नि० छुन्ना सिंह, हे०का० रमेश कुमार व हे०का० उमाकान्त यादव

थाना जहानागंज

दुराचार के दो नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19.09.2020 को जहानागंज थाना क्षेत्र के वादी ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि मेरी नाबालिग पुत्री उम्र 13 वर्ष के साथ गांव के प्रदुम्न यादव उर्फ प्रद्युम पुत्र लालजी यादव ने बहला फुसला कर उसके साथ कई बार बुरा कर्म किया जिससे मेरी लड़की गर्भवती हो गयी तो धमकाकर दिनांक 14.09.2020 को प्रदुम्न यादव व उसके भाई दुर्गेश यादव ने गर्भपात की दवा खिला दिये जिससे मेरी लड़की हालत गम्भीर हो गयी तथा मेरी लड़की को धमकी दिये की किसी को बताया तो तेरे भाई को जान से मार देंगे। वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 205/20 धारा 376/506/313 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 22.09.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में वांछित / वारण्टी की गिरफ्तारी के चलाये गये अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 205/20 धारा 376/506/313 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित 1-दुर्गेश यादव पुत्र लालजी यादव 2-प्रदुम्न यादव उर्फ प्रद्युम पुत्र लालजी यादव ग्राम अचलपार कोढ़वा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 21.05 बजे अभियुक्तगण को उनके घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 205/20 धारा 376/506/313 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-दुर्गेश यादव पुत्र लालजी यादव

2-प्रदुम्न यादव उर्फ प्रद्युम पुत्र लालजी यादव ग्राम अचलपार कोढ़वा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-प्र0नि0 श्रीमती ज्ञानू प्रिया

2-का0 दिलराज सिंह

5-का0 अनिल कुमार

6-म0का0 रागिनी सिंह

थाना जहानागंज

पाँच नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी श्री अबुल हसन पुत्र वहीद ग्राम सलेमपुर खुदादादपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को जमीनी विवाद में विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डा से लैस होकर दरवाजे पर चढ़ कर मारना पीटना जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/20 धारा 147/149/352/504/452/323/336/308/506/427 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 23

.07.2020 को

मु0अ0सं0 206/20 धारा

147/149/352/504/452/323/336/308/506/427 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1-कमरुद्दीन उर्फ सम्हारु पुत्र आबिद 2.जफरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन 3. अशोक यादव पुत्र अच्छेलाल यादव 4. जफरेआलम पुत्र सगीर 5. नूर आलम पुत्र सगीर निवासी गण ग्राम सलेमपुर खुदादादपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10.30 बजे अभियुक्तगण को उनके घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 206/20 धारा 147/149/352/504/452/323/336/308/506/427 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-कमरुद्दीन उर्फ सम्हारु पुत्र आबिद

2.जफरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन

3.अशोक यादव पुत्र अच्छेलाल यादव

4.जफरेआलम पुत्र सगीर

5.नूर आलम पुत्र सगीर समस्त साकिनान ग्राम सलेमपुर खुदादादपुर थाना जहनागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-उ०नि० बाके बहादुर

2-हे०का० शोभनाथ यादव

3-हे०का० अरविन्द यादव

4-हे०का० अवधेश प्रसाद

5-का० प्रमोद कुमार यादव

थाना जहानागंज

04 नफर वाछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 23.07.2020 को मु०अ०सं० 207/20 धारा 147/149/352/323 भादवि से सम्बन्धित वाछित अभियुक्तगण

1-मो० अरशद पुत्र कबीर 2.मो० सहजाद पुत्र कबीर 3.मो० आलमीन पुत्र आलमगीर 4.अबुल हसन पुत्र अब्दुल वहीद

निवासी गण ग्राम सलेमपुर खुदादादपुर थाना जहनागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10.30 बजे अभियुक्तगण

को उनके घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु०अ०सं० 207/20 धारा 147/149/352/323 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तः

1-मो० अरशद पुत्र कबीर

2.मो० सहजाद पुत्र कबीर

3.मो० आलमीन पुत्र आलमगीर

4.अबुल हसन पुत्र अब्दुल वहीद निवासी गण ग्राम सलेमपुर खुदादादपुर थाना जहनागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-उ०नि० बाके बहादुर

2-हे०का० शोभनाथ यादव

3-हे०का० अरविन्द यादव

4-हे०का० अवधेश प्रसाद

5-का० प्रमोद कुमार यादव

6-का० प्रमोद यादव

7-का० आशिष पाल